

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-58/2019-3114

व०प०, राँची, दिनांक-05/8/24

प्रेषक,

जलज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

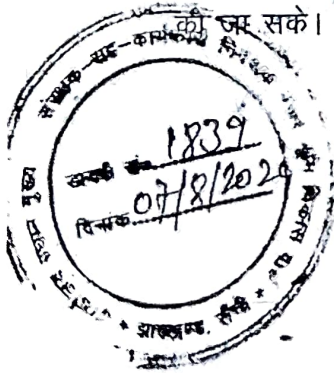
विषय :- खूँटी वन प्रमंडल के अंतर्गत मेसर्स रूंगटा माइन्स लिमिटेड द्वारा परासी स्वर्ण ब्लॉक में खनन हेतु प्रस्तावित 11.959 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक-613 दिनांक-08.07.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में कहना है कि परासी स्वर्ण ब्लॉक में खनन कार्य हेतु मेसर्स रूंगटा माइन्स लिमिटेड द्वारा प्रदत्त Letter of Intent की अवधि विस्तार हेतु खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड से अनुरोध किया गया है, कृत कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है।

अनुरोध है कि प्रयोक्ता अभिकरण को प्रदत्त Letter of Intent की अवधि विस्तार होने के पश्चात विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय ताकि विषयक परियोजना में अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।



विश्वासभाजन

(जलज कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी।



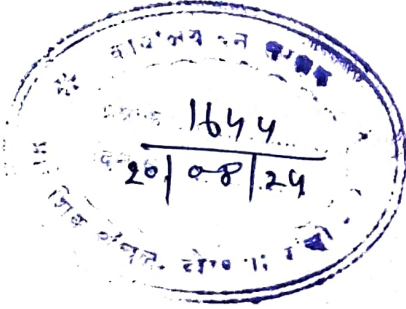
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

ज्ञापांक- 748

दिनांक- 14.8.2024

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी /संयुक्त उपाध्यक्ष (BD), मेसर्स रूंगटा माईन्स लिमिटेड, रूंगटा हाऊस, चाईबासा-833201 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि राज्य सरकार के याचित बिन्दु के क्रम में प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

13.8.24

कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची।

ज्ञापांक :- 1187 दिनांक :- 22/8/24

प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उपरोक्त पत्र में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, राँची।
22/8/24

o/c